अपील संख्या 01/2017 विद्या देवी पत्नि स्व0 गुरदयाल सिंह जाति जाट निवासी 4 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी वार्ड न0 3 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम कुलविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गुरदयाल सिंह जाति जाट निवासी 4 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

19.06.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1— पत्रावली पेश हुई। पक्षकार आज उपस्थित नही है। दिनांक 23.05.17 को अपीलार्थीया विद्यादेवी की बहस सुनी जा चुकी है। रेस्पो0 कुलविन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 07.03.17 को अपना जवाब अपील पेश किया हुआ है जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2— **यह अपील** अपीलार्थीया विद्यादेवी द्वारा उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर (अधिकारण) के प्रकरण सं0 38/2016 विद्यादेवी बनाम कुलविन्द्र सिंह में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा प्रार्थीया/अपीलार्थीया का प्रा0 पत्र दिनांक 09.11.2016 खारिज कर दिया और अपीलार्थीया को माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4, 5 व 23 के अन्तर्गत किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नही माना है।

3— **अपीलार्थीया** विद्यादेवी का कथन था कि रेस्पो0 कुलविन्द्र सिंह उसका हकीकी पुत्र है और चक 4 ई छोटी में खाता संख्या 44/42 के मु0न0 7, 14, 15, 16, 20, 21, 28,29, 34 की कुल 53.130 हे0 मुश्तरका में से 1.704 है0 खातेदारी भूमि उसके नाम दर्ज थी और रेस्पो0 कुलविन्द्र सिंह ने अपीलार्थीया को यह विश्वास दिलाया कि वह इस भूमि में से 0.568 हे0 भूमि उसके नाम लगवा देवे तो वह उसकी सेवा करता रहेगा। उसका आगे कथन था कि रेस्पो0 ने अपीलार्थीया को अपने बहकावे में लेकर धोखे से एक बैयनामा दिनांक 06.09.13 अपने नाम से करवा लिया। जिसकी कीमत एक करोड़ प्रति बीघा है जबकि उक्त बैयनामा दो लाख मालियत का ही करवाया गया है। चूंकि रेस्पो0 किसी प्रकार से अपीलार्थीया की सेवा नही करता है। इसलिए उक्त बैयनामा को शून्य घोषित किया जावे और उसमें अंकित भूमि 0.568 हे0 भूमि का कब्जा उसे दिलवाया जावे और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.12.2016 निरस्त किया जावे।

4— **इसके विपरीत** रेस्पो0 कुलविन्द्र सिंह ने अपने जबाब दिनांक 07.03.2017 में निवेदन किया है कि अपीलार्थीया स्वयं के नाम मकान व दुकान है और इसका किराया भी अपीलार्थीया ही प्राप्त करती है और अपने पति की पेन्शन भी प्राप्त कर रही है इस प्रकार उसका अच्छे प्रकार से भरण पोषण हो रहा है इसलिए उसे किसी प्रकार के भरण पोषण की आवश्यकता नही है। उसका आगे जबाब में निवेदन है कि उसने अपने हक व हिस्से की भूमि की दस्तबरदारी अपनी माता अपीलार्थीया के नाम दिनांक 18.05.2009 को इस आधार पर करवाई थी कि अपीलार्थीया बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर रूपये की जरूरत पडने पर उसके व उसके परिवार की आर्थिक सहायता करेगी। अपीलार्थीया द्वारा जो बैयनामा उसके हक में दिनांक 06.09.2013 को करवाया गया है वह अपीलार्थीया द्वारा दो लाख रूपया प्रतिफल के रूप में लेकर करवाया गया है जो अपीलार्थीया को किसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से किसी शर्त के अधीन नही करवाया गया है। इसलिए इस अधिनियम के तहत उक्त बैयनामा शून्य घोषित नही किया जा सकता। कानूनन रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सिविल व राजस्व न्यायालय को ही है। इसलिए अपीलार्थीया की अपील खारिज करने योग्य है। उसका आगे जबाब में यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया व उसके वारिसो के नाम कुल 1.704 है0 भूमि दर्ज थी जिसमें प्रत्येक वारिस का 1/6 हिस्सा बनता है। उक्त सम्पति जदी जायदाद थी जो रेस्पो0 के पिता व

अपीलार्थीया के पति की मृत्यु उपरान्त बतौर वारिस प्राप्त हुई थी और अब जो भूमि उसके नाम से खातेदारी की दर्ज है वह उसके हक व हिस्से की है। इसलिए अपीलार्थीया का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नही है। अपीलार्थीया ने उसके उक्त हिस्से की भूमि को छोडकर शेष भूमि अपनी पुत्री नसीब कौर को दस्तबरदारी कर दी है। इसलिए अपीलार्थीया रेस्पो0 के हिस्से की भूमि प्राप्त करने की हकदार नही है। अतः अपीलार्थीया की अपील खारिज की जावे।

5— **मैने उभय पक्षो** के उक्त तर्को एवं लिखित जबाब पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील अपीलार्थीया विद्यादेवी द्वारा उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 38/2016 विद्यादेवी बनाम कुलवंत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2016 के विरूद्ध पेश की है। अपीलार्थीया ने उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रा0 पत्र दिनांक 09.11.16 को माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4, 5 व 23 के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया कि उसे अप्रार्थी कुलविन्द्र सिंह से जीवन निर्वाह व दवाई आदि के लिए 10,000रूपये प्रति माह भरण पोषण दिलाया जावे तथा बैयनामा दिनांक 06.09.13 को शून्य घोषित किया जाकर बैयनामा में अंकित भूमि का कब्जा उसे वापिस दिलाया जावे।

6— **अधिनस्थ** न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 23.12.2016 को निम्न आदेश पारित किया है:—

> प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि को अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान किया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को अपनी पुत्री के पक्ष में दस्तबरदारी करवाई जा चुकी है।
>
> प्रार्थीया के पास स्वयं का मकान व दुकान है, जिसका किराया भी प्राप्त करती है तथा राज्य सरकार से पेन्शन भी प्राप्त करती है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी को बेदखल कर बेदखली की सूचना भी अखबार में साया करवाई जा चुकी है।
>
> उपरोक्त विवेचना के मध्यनजर प्रार्थीया का भरण पोषण पेन्शन से हो रहा है व विक्रय पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नही है कि यह भरण पोषण के बदले या मूलभूत सुविधांओ एवम् शारीरिक आवश्यकतांओं की पूर्ति करने के बदले किया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7— **अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 23.12.2016 विधि सम्मत है अथवा नही?** इस संबंध में माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानो पर विचार करना होगा।

8— **चूंकि** अपीलार्थीया ने उक्त रजि0 बैयनामा दि0 06.09.2013 को शून्य घोषित करने एवं उक्त बैयनामा में अंकित 0.568 हे0 भूमि पर से रेस्पो0 को बेदखल करने के लिए धारा 23 के अन्तर्गत प्रार्थना की है साथ ही रेस्पो0 से भरणपोषण दिलाये

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जाने की प्रार्थना की है। इस मामले में यह देखा जाना आवश्यक है कि **क्या अपीलार्थीया उक्त अधिनियम 2007 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है अथवा नही?** यदि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है तो क्या वह रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम है और इस संबंध में अधिनियम में दी गई वरिष्ठ नागरिक/माता–पिता व संतान की परिभाषा पर विचार करना आवश्यक होगाः–

धारा 2(ज) "वरिष्ठ नागरिक" से ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर लिया है अभिप्रेत है।

धारा 2(छ) "सम्बन्धी" से अभिप्रेत है सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक उतराधिकारी, जो अवयस्क नही है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पति का कब्जाधारी में या को उतराधिकार में प्राप्त करेगा।

धारा 2(घ) "माता–पिता" से ऐसे माता या पिता अभिप्रेत है, जो जैविक, दत्कग्राही या सौतेला पिता या सौतेली माता, यथास्थिति, हो, चाहे पिता या माता वरिष्ठ नागरिक है या नही।

धारा 2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नही है।

9– चूंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीया विद्यादेवी ने अपने पुत्र कुलविन्द्र सिंह रेस्पो0 से भरण पोषण दिलाने की प्रार्थना की है। चूंकि अपीलार्थीया व रेस्पो0 के बीच माता व पुत्र का संबंध है। इसलिए अपीलार्थीया बतौर माता, रेस्पोडेन्ट से भरण पोषण की मांग करने के लिए कानूनन सक्षम है किन्तु यह अलग बात है कि वह रेस्पोडेन्ट से उक्त अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने की हकदार है अथवा नही? इस सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानो पर विचार करना होगा जो निम्न प्रकार से हैः–

> **4.माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण**–(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–
> ( ) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।
> ( ) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।
> (2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।
> (3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।
> (4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः
> **परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा,जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।**

10— **अपीलार्थीया** ने अपने अपील प्रा0 पत्र में अंकित किया है कि रेस्पो0 कुलविन्द्र सिंह उसका पुत्र है और उसने अपने पिता के स्थान पर अनुकम्पा नौकरी प्राप्त की हुई है। अपीलार्थी ने अपने अपील पत्र में अपने नाम चक 4 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर में खाता सं0 44/41 मु0न0 7, 14, 15, 16, 20, 21, 28,29, 34 की कुल 53.130 हे0 मुश्तरका में से उसके नाम 1.704 है0 भूमि खातेदारी अपने नाम खातेदारी भूमि होना दर्ज किया है और उक्त भूमि में से 0.568 हे0 रेस्पो0 कुलविन्द्र सिंह के पक्ष में किये गये बेचाननामा दिनांक 06.09.13 को धोखा से करवाना बताया है।

11— **चूंकि अपीलार्थीया** के अनुसार उसके पुत्र कुलविन्द्र सिंह रेस्पो0 ने अनुकम्पा में अपने पिता के स्थान पर नौकरी प्राप्त की है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीया का पति राजकीय सेवा में था और उसकी मृत्यु होने पर अपीलार्थीया को पेन्शन प्राप्त हो रही है जिसका पी.पी.ओ. न0 600855(आर)एस.एफ. है और उसके नाम से उसके कथनानुसार कृषि भूमि भी है इस प्रकार वह अपना भरण पोषण करने में पूर्णतया सक्षम प्रतीत होती है। रेस्पो0 के कथनानुसार अपीलार्थीया के पास मकान व दुकान भी है जिसका अपीलार्थीया किराया प्राप्त कर रही है इसका भी अपीलार्थीया द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीया के पास भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन है। **इसलिए अपीलार्थीया की भरण पोषण संबंधी प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।**

12— **जहां तक** अपीलार्थीया द्वारा रेस्पो0 कुलविन्द्र सिंह के पक्ष में बैयनामा दिनांक 06.09.13 के द्वारा अन्तरित की गई विवादग्रस्त भूमि के अन्तरण को निरस्त करने का प्रश्न है इस संबंध में धारा 23 के प्रावधानो पर विचार करना उचित होगा। धारा 23 (1) निम्न प्रकार से है:—

> **23. कुछ परिस्थितियों में सम्पति का अन्तरण शून्य होगा:**—(1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिति ऐसी सुविधाओ और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से ईन्कार करता है या असफल रहता है, वह सम्पति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असभयक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

13— **अधिनियम** की धारा 23 के अन्तर्गत अन्तरित की गयी कृषि भूमि का अन्तरण वरिष्ठ नागरिक द्वारा इस शर्त के अधीन होना चाहिए कि अन्तरिती अन्तरक की मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और यदि ऐसा करने से ईन्कार करता है या असफल रहता है तो ही ऐसे अन्तरण को शून्य घोषित किया जा सकता है।

14— **चूंकि उक्त 0.568 हे0 कृषि भूमि के जिसके बेचान दिनांक 06.092013 को शून्य घोषित करने की प्रार्थना की गयी है उक्त बैयनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि अपीलार्थीया विद्यादेवी द्वारा बतौर वरिष्ठ नागरिक किसी प्रकार से किसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की शर्तो के अधीन अन्तरण नही की गयी है बल्कि बैयनामा में अंकित दो लाख रूपया प्रतिफल प्राप्त करके रजि0 बैयनामा दिनांक 06.09.2013 से अन्तरण की गयी है। इसलिए ऐसे अन्तरण को शून्य घोषित करने करने के लिए उक्त अधिनियम की 23(1) के अन्तर्गत विचार नही किया जा सकता। इसलिए उक्त बैयनामा दिनांक 06.09.2013 को शून्य घोषित कर उसमें अंकित भूमि का कब्जा वापिस दिलाने संबंधी उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार की जाती है।**

कलैक्टर

15— **अतः** उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 23.12.2016 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1443-45
12/01/17

16— **यह** आदेश आज दिनांक 19.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर